

सीबीआई छापे मनीष सिसोदिया पर निशाना

केन्द्रीय अवेषण ब्लूगे-सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास विवरण अन्य ठिकानों पर छापे मारे। ये छापे कथित रूप से दिल्ली एक्सप्रेस नीति में उनके द्वारा किए गए ललत कामों के आरोप में डाले गए हैं जिससे केन्द्रीय एजेंसियों की भूमिका पर पैदा विवाद और गहरा हो गया है। हालांकि, यह नीति बनाने में नेतृत्वकारी भूमिका अदा करने वाले मनीष सिसोदिया ने कहा है कि सीबीआई की जांच का 'स्थान' है। परंपरागत रूप से केन्द्र सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी ने अपनी कार्रवाई को भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष बढ़ाव कर सही ठहराया है, जबकि आदमी पार्टी और बाहरी विपक्ष ने इसे भाजपा सरकार द्वारा 'राजनीतिक बदल' की कार्रवाई कहा है। स्थिति जो भी हो, एजेंसियों की भूमिका इस प्रकार निर्धारित की जानी चाहिए कि उनके कामकाज पर कोई सवाल न उठे। अभी बहुत लंबा समय नहीं बीता जब सीबीआई ऐसी एजेंसी मानी जाती थी जिसके अधिकारी न केवल सक्षम, बल्कि भ्रष्टाचार से पैदा होता है। हालांकि, सीबीआई अधिकारियों के गुणों से जड़ी कुछ धारणायें भले ही मिथकीय रही ही हों, पर इसके बावजूद इसे मानें रखें से दूर व निशानावान अधिकारियों के संगठन के रूप में देखा जाता था। लेकिन दूर्घता की बात है कि अनेक घटनाओं सामने आने के बाद अब ऐसी नहीं समझा जाता है। इसके अलावा एक संगठन प्रवर्णन निदेशालय-ईडी है जिसकी शायद विरले ही जनता में कोई छवि रही हो, पर अब इसे राजनीतिक रूप से निशानावान लगाने के लिए जाता है। सीबीआई, ईडी व अन्य केन्द्रीय एजेंसियों को न केवल अपने चारों में निर्धारित

दायित्वों के प्रति प्रतिविवरण की बाबत है कि अनेक घटनाएं एक फौरन प्रधानमंत्री नेरन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आरोप लगा दिया है जब इन एजेंसियों का प्रयोग अपना राजनीतिक रूप से सिद्ध करने के लिए कर रही है, लेकिन उन्होंने इस समस्या से निपटने के लिए सकारात्मक व रचनात्मक व्यवस्था बनाने का कोई सुझाव नहीं दिया है। सभी लोग समस्या देख सकते हैं और इसके कारण देख प्रक्रम कर सकते हैं, लेकिन कोई उद्देश पूरा नहीं होगा। मुख्य मुद्दा समस्या का समाधान करना है। यदि नियोजित नेतृत्व बदलना चाहिए है तो उनको एक समाधान बनाना चाहिए? लेकिन पहली बात यही है कि क्या वे वास्तव में ऐसे चाहते हैं? अथवा वे समय कट रहे हैं और अपने सत्ता में आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं ताकि इन्हीं एजेंसियों का प्रयोग कर भाजपा नेताओं से बदला लिया जा सके? आखिरकार अन्यतमें कुछ एजेंसियों का प्रयोग नापांद लोगों के उत्तराधि के लिए किया गया था। लेकिन यदि ऐसा है तो इसे न्याय के बजाय बदल ही कहा जा सकता है। इसके साथ ही सवाल उठता है कि लोकपाल संस्था के साथ क्या हुआ था? 2011 में अन्ना हजारे का आंदोलन याद कीजिए। उस समय पूरे देश से कहा गया था कि लोकपाल भ्रष्टाचार का समाधान होगा। उस समय अराजनीतिक नागरिकों से लेकर पेशेवर क्रांतिकारियों तक सभी प्रकार के एक्सप्रिस्ट व आम जनता में प्रमुख भूमिका अदा कर रही है। भ्रष्टाचार को बदला तथा प्रशासन की नैतिकता में क्षरण के साथ ही इन खेरातों से राज्य की जगटीय विशेषज्ञता के स्वास्थ्य पर गम्भीर दुष्प्रभाव पड़ता है। जबकि सरकारी धन से मदतदाताओं को उन्नित करता है तो इसे एक प्रकार से वैधता प्राप्त हो जाती है। कुछ विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है कि यह एक विशेषज्ञ को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। यदि अपने लोगों से खेरातों को अनुबंधि रूप से नियोजित किया गया है तो वे खेरातों की अनुपस्थिति को अनुकूल हो। लेकिन जब कोई पार्टी सरकारी धन से मदतदाताओं को उन्नित देती है तो वह एक प्रकार से वैधता प्राप्त हो जाती है। कुछ विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है कि यह एक विशेषज्ञ को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये बढ़ जाएगा। यदि अपने लोगों से खेरातों को अनुबंधि रूप से नियोजित किया गया है तो वे खेरातों की अनुपस्थिति को अनुकूल हो।

व

कोल अश्विनी दुबे की एक जनता याचिका-पीआईएल पर विचार करते हुए 3 अगस्त, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने सभी पक्षों से सुझाव मारे हैं। याचिका में 'खेरातों' के खिलाफ निर्देश देने की प्रार्थना की गई है। इसका अर्थ राजनीतिक पार्टियों के संगठन के रूप में देखा जाता था। लेकिन दुर्घता की बात है कि अनेक घटनाओं ने आवास राजनीतिक व्यवहार-ईडी की बात है। इसकी शायद विरले ही जनता में कोई छवि रही हो, पर अब इसे राजनीतिक रूप से निशानावान लगाने के लिए जाता है। सीबीआई, ईडी व अन्य केन्द्रीय एजेंसियों को न केवल अपने चारों में निर्धारित

खेरातों वित्तीय दीवालियेपन की ओर ले जाती हैं। इनसे बचने का एकमात्र रास्ता राजनीतिक दलों द्वारा इनकी घोषणा

पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन भाजपा को छोड़ कर लगभग सभी दल इनके पक्ष में हैं।

उत्तम युगा
(लेखक, नीति विश्लेषक हैं)



जिसका अर्थ केवल चुनावी राजनीति में लाभ प्राप्त करने के लिए जनता के पैसे से मदतदाताओं को रिश्वत देना है। किसी लोग शामिल हो जाए तो खेरातों के विरोध करते हैं। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए सरकारी खेरातों का प्रयोग कर मतदाताओं को अंतर्वात्मक लाभ देते हैं। याचिका पर विचार करते ही जनता जाएगी तो यह इन खेरातों के विरोध करते हैं। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ एक विशेषज्ञों ने इस आधार पर खेरातों को उन्नित करना प्रयोग कर रखा है। याचिका को विशेषज्ञीय सीमा तक बढ़ा जाएगा। पांच साल के बाद उपोक्त खेरातों के कारण राज्य का कर्ज 1,00,000 करोड़ रुपये पहले से देखा जाता है। याचिका पर प्रधान न्यायालय जस्टिस एन.वी.रमन व जरिट्स कृष्ण मुरारी तथा द्वारा वोट बर्तने के लिए जनता के साथ

